

42 (168)

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, म०प्र०.



श्री मनोज सिंघाणी एड.  
दया पत्रा 3.10.13

R-4369-111/13

राम प्रसाद उर्फ रामविशाले तनय रिचकड चमार निवासी ग्राम अमलोरी;  
तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली, म०प्र०.

-----निगराकार

591  
3.10.13

बनास

- 01- शासन म०प्र०
- 02- लगनधारी पिता छोटकड राम भाट सा० तेलाई तह० सिंगरौली
- 03- कुसुम कुमारी नावा०। जरिये पिता बृजेन्द्र प्रसाद दुवे, सा० कुशमहरा तह० सिंगरौली, म०प्र०.
- 04- बृजेन्द्र प्रसाद दुवे पिता रामरेखाराम दुवे सा० कुशमहरा तह० सिंगरौली
- 05- संजीव कुमार सिंह पिता सुरेन्द्र बहादुर सिंह सा० साजापुर
- 06- श्रीमती रमा सिंह पति अरुण सिंह बघेल सा० बेटन
- 07- जगदीश्वर सिंह तनयधुराज सिंह सा० डिग्धी तह० सिंगरौली;
- 08- बृजेन्द्र कुमारसिंह पिता अर्जुन सिंह क्षत्री सा० डिग्धी तह० सिंगरौली
- 09- उपेन्द्र कुमार सिंह पिता अर्जुन सिंह क्षत्री, सा० डिग्धी तह० सिंगरौली.
- 10- शंखधारी पिता छविलाल चमार सा० नौगढ, तह० सिंगरौली.

----- अनावेदकगण.

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली, जो प्र०क्र० 5/निग./2012-13 में दिनांक 05.08.013 को पारित किया गया ।

42

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक R4369-III/13 जिला-सिमरौली

शमप्रसाद शर्मा विरुद्ध शासन, लगातकारी

(1)

(2)

(3)

15-1-19

1. आवेदक की ओर से श्री शमप्रसाद शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ ~~अप~~ कलेक्टर, जिला सिमरौली के प्रकरण क्रमांक 05/आ.0.12-13 में पारित आदेश दिनांक 05-08-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य